47

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

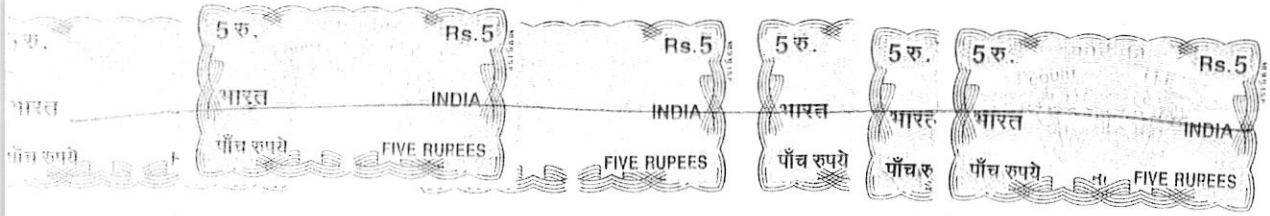

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

दयावान मिश्रा तनय भागवत प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम पटना, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0) Rs-30/-

III/निग0/सतना/भू.रा./2017/2030 ————आवेदक

अधिवक्ता अशोक मिश्र द्वारा पेश 01-7-17

बनाम

1— सत्यभामा पुत्री दामोदर प्रसाद

2— शिब्बू उर्फ शिवेन्द्र प्रसाद तनय दामोदर

दोनो निवासी ग्राम पटना, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0) ————अनावेदकगण

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त झिन्ना, तहसील रामनगर, जिला सतना (म0प्र0) दिनांक 30/09/16 वावत् प्रकरण क्र0— 18—अ—6/08—09

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रकिया साक्ष्य एवं अभिलेख के विरूद्ध है ।

2— यह कि अनावेदक सत्यभामा के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 28/02/09 अनुविभागीय अधिकारी, रामनगर द्वारा तारीख 20/08/09 को निरस्त कर दिया जिसके खिलाफ अनावेदक क्र0—1 द्वाराकही कोई अपील/निगरानी आज तक नही की गई फिर भी जो आदेश दिनांक 28/02/09 अपीलीय न्यायालय से

01/07/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2030–तीन/2017 निगरानी जिला – सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/11	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त झिन्ना तहसील रामनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 18 अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में नायव तहसीलदार वृत्त झिन्ना तहसील रामनगर के आदेश दिनांक 30–9–2016 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–9–16 में अंकित किया है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश सतना के प्रकरण कमांक 2 A 2016 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2016 से निराकरण किया गया है, जिसके कारण प्रकरण में आदेश दिनांक 28–2–09 का पालन खसरे में किया जाना है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जब माननीय अपर जिला न्यायाधीश सतना के प्रकरण कमांक 2 A 2016 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2016 से निराकरण हुआ है राजस्व न्यायालय माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन हेतु बाध्य है। यदि राजस्व न्याययालय व्दारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाती है ऐसे कार्यवाही आदेश के विरूद्व अपील/ निगरानी व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय में होगी, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	